

20.8.24

20.8.24

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी मय अधिकता उपस्थित  
नहीं। बाल-2 व रक्त-देक कर आवाज लगाने  
पर भी प्रार्थी मय अधिकता न्यायालय में  
उपस्थित नहीं हुए। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र  
अदम हाजरी व अदम पेशी में स्वरीज किया  
जाता है।

उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला भीलवाड़ा